राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम	आलोच्य आदेश की दिनांक एवं रिक्ति वर्ष
1.	964/2019 हेमन्त कुमार	1. संभागीय आयुक्त, कोटा। 2. जिला कलक्टर, बारां। 3. जिला कलक्टर, झालावाड़। अपील संख्या 964/2019, 965/2019, 966/2019, 967/2019 में क्रमानुसार निजी प्रत्यर्थी के नाम श्री जुगलकिशोर पुत्र श्री कंवरलाल, भू–अभिलेख निरीक्षक, तहसील सांगोद, जिला कोटा। श्री बाबूलाल पुत्र श्री मदनलाल, भू–अभिलेख निरीक्षक तहसील अन्ता जिला बारां। श्री महावीर सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह, भू–अभिलेख निरीक्षक तहसील पिण्डावा जिला झालावाड। श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री चतर सिंह, भू–अभिलेख निरीक्षक चेचट जिला कोटा।	22.04.2019	श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक एवं श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता	27.08.2013 वर्ष 2013–14
2.	965/2019 सम्पत राज वर्मा				31.07.2014 वर्ष 2014–15
3.	966/2019 मदल लाल वर्मा				
4.	967/2019 किशन मीना				

आदेश की दिनांक : 12.07.2023

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 964/2019 श्री हेमन्त कुमार बनाम संभागीय आयुक्त, कोटा एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि उससे कनिष्ठ कार्मिकों को आदेश दिनांक 27.08.2013 के द्वारा पटवारी पद से भू–अभिलेख निरीक्षक पद की रिक्ति

वर्ष 2013–14 के विरूद्व पदोन्नति एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिये गये है। उसी तिथि से उक्त समस्त लाभ अपीलार्थी को भी प्रदान किये जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अमीन के पद पर दिनांक 20.02.1984 को बदोबस्त विभाग में हुई और अधिशेष होने पर अपीलार्थी को दिनांक 10.03.1986 को पटवारी के पद पर नियुक्ति दी गई। और आदेश दिनांक 31.07.2014 के द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक के पद की रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्व उसे पदोन्नत किया गया। और अपीलार्थी वर्तमान में उक्त पद पर कार्य कर रहा है। आदेश दिनांक 06.08.1995 के अंतर्गत संभाग के अधिनस्थ जिलों में पटवारियों की नियुक्ति दिनांक 01.04.2013 की स्थितियों में अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई। जिसमें अपीलार्थी का नाम कम संख्या 200 पर अंकित किया गया। दिनांक 26.08.2013 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई और डीपीसी वर्ष 2013–14 में कोटा संभाग की दिनांक 01.04.2013 को संभाग की पारस्परिक वरिष्ठता सूची पटवारियों की भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु जारी की गई। और उपर्युक्त पाये जाने पर उक्त पद पर कार्मिकों को पदोन्नत किया गया। जिसमें अपीलार्थी से कनिष्ठ जुगल किशोर जिसकी वरिष्ठता कमांक 267 है उसे भी पदोन्नत कर दिया गया। जबकि अपीलार्थी के नाम पर उक्त पद पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया। जिन कार्मिकों को पदोन्नति दी गई है। उनके नाम वरिष्ठता सूची में कमांक 99 से 134 पद दर्शाये गये है। यह सभी कर्मचारी अपीलार्थी से कनिष्ठ है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को एससी/एसटी का जो 16 व 12 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित हैं। उससे अधिक कर्मचारी है तो उन्हे पदोन्नत नहीं किया गया। जबकि ऐसा किया जाना नियमों के विपरीत है। उक्त संबंध में अपीलार्थी ने कई अभ्यावेदन दिये परन्तु विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 में आरक्षित वर्ग का किसी पद/संवर्ग में रोस्टर के अनुसार प्रतिनिधित्व 16 व 12 प्रतिशत निर्धारित किया गया लेकिन उक्त निर्धारित प्रतिनिधित्व किसी भी स्थिति में आधिक्य नहीं होगा। यदि एससी/एसटी का कोई योग पात्र अभ्यर्थी अपनी स्वयं की वरियता अर्थात सेवा में प्रवेश की वरियता के आधार पर बिना आरक्षण का लाभ लिये वरिष्ठ होता है और उससे कनिष्ठ अनारक्षित वर्ग का राजसेवक पदोन्नति हो जाता है तो उसे एससी/एसटी के अभ्याशं यथा 16 व 12 प्रतिशत से अथवा रोस्टर बिन्दु से पद

भरा होने पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जायेगा। इस संबंध में दिनांक 15.05.2017 को राजस्व विभाग ने संभागीय आयुक्त कोटा को पत्र लिखा परन्तु आज दिनांक तक पदोन्नति से संबंधित कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी ने भी उक्त संबंध में अभ्यावेदन दिया परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही अपीलार्थी को उससे कनिष्ठ के समान लाभ प्रदान किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.05.2015, 05.05.2016 एवं 15.10.2018 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2325/2013 सोहन लाल वर्मा व अन्य बनाम राजस्व बोर्ड, अजमेर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.05.2014 की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया, जिनमें ऐसे मामलों में प्रार्थी के पक्ष में आदेश दिया गया। अपीलार्थी का प्रकरण में उक्त प्रकरण के समान तथ्यों पर आधारित है तथा अपीलार्थी भी उक्त लाभ प्राप्त करना का अधिकारी है परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उससे कनिष्ठ कार्मिक के समान दिये गये लाभों से वंचित रखा गया। जो नियम विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि उससे कनिष्ठ कार्मिकों को आदेश दिनांक 27.08.2013 के द्वारा पटवारी पद से भू–अभिलेख निरीक्षक पद की रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्व पदोन्नति एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिये गये है। उसी तिथि से उक्त समस्त लाभ अपीलार्थी को भी प्रदान किये जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि आदेश दिनांक 27.08.2013 के द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठगणों को पदोन्नति दी गई है लेकिन अपीलार्थी ने सभी को पक्षकार नहीं बनाया। पक्षकारों के अभाव में अपील खारिज किए जाने योग्य है। अपीलार्थी अनुसूचित जाति संवर्ग से है तथा संभाग की वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2013 के क्रम में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 200 पर अंकित है। अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के तहत वरिष्ठता सूची अनुसार आने वाले संवर्गवार रिक्तियों के परिप्रेक्ष्य में कार्मिकों की संवर्गवार पटवारी से भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किए गए। उक्त अधिसूचना अनुसार एससी/एसटी के पदों पर पदोन्नति दी गई जो नियमानुसार है। उक्त संवर्ग में स्पष्ट रिक्तियां 28 होने के कारण उक्त संवर्ग में वरिष्ठता क्रमांक 183 तक के कार्मिक पदोन्नति के पात्र रहे। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 15.05.2017 के द्वारा कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के क्रम में एससी/एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऑन मेरिट के अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलक्टर, बारां द्वारा

पत्र दिनांक 26.07.2017 द्वारा जिले में कोई एससी/एसटी का कार्मिक ऑन मेरिट पर चयनित नहीं होना बताया। इस प्रकार अपीलार्थी पदोन्नति का पात्र नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण की प्रथम नियुक्ति अमीन के पद पर दिनांक 20.02.1984, 01.09.1997, 30.08.1997 एवं 11.12.1991 (क्रमशः) को बदोबस्त विभाग में हुई और अधिशेष होने पर अपीलार्थीगण को दिनांक 10.03.1986 को पटवारी के पद पर नियुक्ति दी गई और भू–अभिलेख निरीक्षक के पद की रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्व उन्हें पदोन्नत किया गया। आदेश दिनांक 06.08.1995 के अंतर्गत संभाग के अधीनस्थ जिलों में पटवारियों की नियुक्ति दिनांक 01.04.2013 की स्थितियों में अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थीगण का नाम क्रम संख्या 200 एवं दिनांक 01.04.2014 की स्थिति में वरिष्ठता क्रमांक 189, 183 एवं 114 (क्रमशः) पर अंकित किया गया। दिनांक 26.08.2013 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई और डीपीसी वर्ष 2013–14 में कोटा संभाग की दिनांक 01.04.2013 को संभाग की पारस्परिक वरिष्ठता सूची पटवारियों की भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु जारी की गई और उक्त पद पर कार्मिकों को पदोन्नत किया गया, जिसमें अपीलार्थीगण से कनिष्ठ कार्मिक निजी प्रत्यर्थी श्री जुगल किशोर, बाबूलाल, महावीर सिंह एवं रणजीत सिंह को भी पदोन्नत कर दिया गया। जहां तक अपीलार्थीगण से कनिष्ठ कार्मिकों को भू–अभिलेख निरीक्षक के पद की रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्व पदोन्नत किए जाने एवं अपीलार्थीगण को उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्व पदोन्नत नहीं किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि एससी/एसटी संवर्ग में स्पष्ट रिक्तियां 28 होने के कारण उक्त संवर्ग में वरिष्ठता क्रमांक 183 तक के कार्मिक पदोन्नति के पात्र होने पर पदोन्नति दी गई, जिसके कारण अपीलार्थीगण को पदोन्नति नहीं दी गई। विभाग के विज्ञप्ति दिनांक 02.08.2013 (अनुलग्नक–2) के अनुसार अपीलार्थीगण की मूल वरिष्ठता दर्शायी गई है, जिसमें अपीलार्थीगण वरिष्ठ हैं और निजी प्रत्यर्थीगण उनसे कनिष्ठ हैं एवं विभाग की आज्ञा दिनांक 27.08.2013, 29.07.2014, 31.07.2014 (क्रमशः) के अनुसार अपीलार्थीगण से कनिष्ठ कार्मिक को श्री जुगल किशोर, श्री बाबूलाल, श्री महावीर सिंह एवं श्री रणजीत सिंह को उक्त पद पर उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्व पदोन्नत

कर दिया गया। जबकि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 15.05.2017 में निम्नलिखित अंकन किया गया है :–

> *''यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई योग्य एवं पात्र अभ्यर्थी अपनी स्वयं की वरिष्ठता (own merit) अर्थात् सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता के आधार पर बिना आरक्षण का लाभ लिए वरिष्ठ होता है और उससे कनिष्ठ आरक्षित वर्ग का राज सेवक पदोन्नत हो जाता है तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यांश यथा 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत से अथवा रोस्टर बिंदु से पद भरा होने पर भी पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा। अपितु आधिक्य व निर्धारित अभ्यांश भविष्य में समायोजित किया जाएगा।''*

इसी प्रकार राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.09.2013 में भी निम्नलिखित स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है :–

> *''यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व पूर्ण है किन्तु उक्त वर्ग का कोई पात्र राज सेवक अपनी सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता के आधार पर बिना पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ लिए वरिष्ठ है तथा उसे पदोन्नत नहीं करने पर उससे सेवा में प्रवेश के समय का कनिष्ठ राज सेवक पदोन्नत हो रहा है तो पहले उसे अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नत किया जाएगा किन्तु भविष्य में कुल पदों की गणना में उसके पदों की आरक्षित की श्रेणी में गिना जाकर गणना की जावेगी। यदि आरक्षित वर्ग के किसी कार्मिक ने किसी स्तर पर भी पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ लिया है तो उसे क्रमशः 16 व 12 प्रतिशत के अनुपात में पद रिक्त होने पर ही पदोन्नति प्रदान की जाएगी।''*

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2325/2013 सोहन लाल वर्मा व अन्य बनाम राजस्व बोर्ड, अजमेर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.05.2014 में माननीय न्यायालय ने भी निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

> *"Examined in the light of the settled proposition of law as discussed above, it must be held that the respondents have misapplied the law of reservation. Petitioners had the right to be considered for promotion against unreserved posts. They cannot confine the right of the candidates of Scheduled Caste category of consideration for promotion on the basis of seniority-cum-merit only against the posts reserved for Scheduled Caste. Right to consideration for promotion cannot be denied to petitioners only because the vacancies meant for their category stood exhausted or that no vacancy in their category (SC) was available. Such a procedure negates their fundamental right to consideration as envisaged in Articles 14 and 16 of the Constitution of India."*

उपरोक्तानुसार यह कहते हुए अपीलार्थीगण को उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान किए जाने से नहीं रोका जा सकता कि आरक्षित वर्ग के पद पूरे भरे जाने के कारण अपीलार्थीगण को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थीगण से कनिष्ठ कार्मिकों को उक्त पद पर पदोन्नत कर दिया गया जबकि अपीलार्थीगण अपनी स्वयं की वरिष्ठता (own merit) विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 02.08.2013 के अनुसार निजी प्रत्यर्थीगण से वरिष्ठ हैं फिर भी विभाग द्वारा उक्त नियम/परिपत्र/आदेश एवं न्यायिक दृष्टांत को ध्यान में न रखते हुए उनसे कनिष्ठ निजी प्रत्यर्थीगण को पदोन्नत कर दिया गया, जो नियम एवं विधि के विरूद्ध है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त नियम एवं न्यायिक दृष्टांतों को ध्यान में रखते हुए भू–अभिलेख निरीक्षक के पद की रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध अपीलार्थी श्री हेमन्त कुमार एवं रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध अपीलार्थीगण श्री सम्पत राज वर्मा, श्री मदन लाल वर्मा एवं श्री किशन मीना के नाम पर पदोन्नति हेतु उसी तिथि से विचार किया जावे, जिस तिथि से अपीलार्थीगण से कनिष्ठ निजी प्रत्यर्थीगण को उक्त पदोन्नति आदि का लाभ दिया गया है। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

मूल आदेश अपील संख्या 964/2019 श्री हेमन्त कुमार बनाम संभागीय आयुक्त, कोटा एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य